### संघ लोक सेवा आयोग

### सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2018

### उम्मीदवारों को विस्तृत आवेदन-प्रपत्र भरने के बारे में अनुदेश

उम्मीदवारों को चाहिए कि वे ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व इन अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) भरने से पूर्व सभी उम्मीदवार नीचे उल्लिखित अपने संगत मूल दस्तावेजों को 200 डीपीआई ग्रे स्केल में स्कैन भी कर लें और उसे अधिकतम 2 एमबी तक की एक ही पीडीएफ फाइल में परिवर्तित कर लें। इस प्रकार तैयार की गई पीडीएफ फाइल, पासवर्ड के जिरए सुरक्षित न हो और इस फाइल को डीएएफ को ऑनलाइन सब्मिट करते समय ही अपलोड किया जाना चाहिए।

- (I) आय् संबंधी प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति।
- (II) आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए परीक्षा के नोटिस के पैरा 3 (iii) और भारत के राजपत्र दिनांक 02 मई, 2018 में प्रकाशित परीक्षा की नियमावली के नियम 6 में निर्धारित शैक्षिक अर्हता दर्शाने वाले प्रमाण-पत्रों की स्कैन की गई प्रति।
- (III) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ शारीरिक विकलांग से संबंधित होने के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति (जहां कहीं लागू हो)।
- (IV) अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के रूप में छूट प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों के मामले में उनके क्रीमी लेयर से संबद्ध न होने के समर्थन में संबंधित उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित परिवचन की स्कैन की गई प्रति। यह परिवचन परिशिष्ट-। के पैरा बी-1 में दिए गए प्रारूप में होना चाहिए।
- (V) अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के रूप में रियायत प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवार द्वारा विस्तृत आवेदन प्रपत्र के अनुबंध में दिए अनुसार विधिवत् रूप से भरे गए और हस्ताक्षर किए गए प्रोफार्मा की स्कैन की गई प्रति।
- (VI) आयु में रियायत के दावे, जहां कहीं लागू हो, के समर्थन में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति।
- (VII) शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवार के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति (जहां कहीं लागू हो)।

ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र की विधिवत हस्ताक्षरित प्रतिलिपि उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति सहित, सभी दस्तावेजों की स्व-अनुप्रमाणित प्रतियों के साथ, साक्षात्कार के समय या साक्षात्कार के अंतिम दिन, जिसकी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर यथासमय उपलब्ध करा दी जाएगी, तक प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यह भी नोट कर लिया जाए कि दस्तावेजों की जांच की अंतिम तिथि को किसी भी परिस्थिति में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उम्मीदवार कृपया यह नोट कर लें कि वे मूल दस्तावेजों की केवल स्कैन की गई प्रतियां ही अपलोड करें। किसी भी दस्तावेज को डाक के माध्यम से भेजने की आवश्यकता नहीं है।

2. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे दिनांक 02 मई, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित परीक्षा की नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, जिसमें पात्रता की शर्तें आदि सिम्मिलित हैं। वे यह नोट कर लें कि आवेदन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियों में परिवर्तन करने के संबंध में किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अत:, उम्मीदवारों को चाहिए वे सही रूप से ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को भरने के लिए विशेष सावधानी बरतें।

किसी भी प्रविष्टि के अपूर्ण या भ्रामक होने की स्थिति में, इसके परिणाम के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेवार होंगे।

3. उम्मीदवारों से अनुरोध है कि आवेदन प्रपत्र के संबंधित कॉलम में उन सेवाओं/पदों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें जिनके लिए वे वरीयता क्रम के अनुसार विचारण चाहते हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे जितनी संख्या में चाहें उतनी संख्या में अपनी वरीयता का उल्लेख करें ताकि योग्यताक्रम में उनके रैंक को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति करते समय उनकी वरीयताओं पर भली-भांति विचार किया जा सके।

टिप्पणी I: रेलवे में सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी के पद के इच्छुक उम्मीदवार, वरीयता क्रम में अधिकतम पांच जोनल रेलवे का विकल्प प्रदान करें। विभिन्न जोनल रेलवे में उनका आबंटन करते समय इन वरीयताओं को भी ध्यान में रखा जाएगा, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उम्मीदवारों का आबंटन इन्हीं में से किसी रेलवे में किया जाएगा। चूंकि यह सेवा समस्त देश के लिए है, अतः उम्मीदवार को भारतीय रेल के किसी भी जोन में स्थानांतरित किया जा सकता है।

टिप्पणी II : उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन पत्र में पहले ही निर्दिष्ट की जा चुकी वरीयताओं में कुछ भी जोड़ने/परिवर्तन करने के संबंध में किसी भी अनुरोध को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- 4. उम्मीदवारों द्वारा इस ऑनलाइन विस्तृत आवेदन-प्रपत्र में दी गई सूचनाओं का मिलान इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-प्रपत्र में पूर्व में दी गई सूचनाओं से किया जाएगा। यदि कोई गंभीर विसंगति पाई जाती है, तो संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- 5. यदि कोई उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों का होने का दावा करता है, तो उसे अपने दावे के समर्थन में उस जिले के, जिसमें उसके माता-पिता (या जीवित माता या पिता) आमतौर पर रहते हों, जिला अधिकारी या उपमण्डल अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी से परिशिष्ट-! में दिए गए फार्म में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यह प्रमाण-पत्र जारी करने वाला अधिकारी, ऐसा अधिकारी होना चाहिए, जिसे संबद्ध राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए पदनामित किया गया हो। यदि उम्मीदवार के माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो यह प्रमाण-पत्र उस जिले के अधिकारी से प्राप्त किया जाएगा, जहां उम्मीदवार अपनी शिक्षा से भिन्न अन्य प्रयोजन से आमतौर पर रहता है।
- 6. उम्मीदवार, अपने आवदेन पत्र के साथ, आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 02 मई, 2018 को अपलोड की गई परीक्षा की अधिसूचना के पैरा 3(iii) तथा भारत के राजपत्र में दिनांक 02 मई, 2018 को प्रकाशित परीक्षा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत विनिर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के अनुरूप अपनी शैक्षणिक योग्यता को दर्शाते प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति भी जमा करेंगे। अपलोड किया गया प्रमाण-पत्र, योग्यता-विशेष प्रमाणित करने वाले संबंधित प्राधिकरण (अर्थात् विश्वविद्यालय अथवा अन्य परीक्षा निकाय) द्वारा जारी हुआ होना चाहिए।
- 7. उम्मीदवार, आयु के प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्म की तारीख उल्लिखित है) की स्कैन की गई प्रति अपने ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र के साथ अपलोड करेंगे। आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है, जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के या किसी मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। ऐसे उम्मीदवार, जो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हों, वे उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुण्डली, शपथ-पत्र, नगर निगम तथा सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा इस प्रकार के अन्य प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुदेशों के इस भाग में "मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र" वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित हैं।

कभी-कभी मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में जन्म की तारीख नहीं होती है या आयु के केवल पूरे वर्ष या पूरे वर्ष और महीने ही दिए जाते हैं। ऐसे मामलों में उम्मीदवार को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त उस संस्था के हैडमास्टर/प्रिंसिपल से लिए गए प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति भेजनी चाहिए जहां से उसने मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस प्रमाण-पत्र में उस संस्था के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक आयु लिखी होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन-प्रपत्र के साथ इन अनुदेशों में यथा-निर्धारित आयु का पूरा प्रमाण नहीं भेजा गया तो संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

- टिप्पणी 1 : जिस उम्मीदवार के पास पढ़ाई पूरी करने के बाद माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र हो उसे केवल आयु से संबंधित प्रविष्टि वाले पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति भेजनी चाहिए।
- टिप्पणी 2 : उम्मीदवार यह ध्यान में रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो आवेदन-प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही उसे स्वीकार किया जाएगा।
- 8.(i) जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अधिवासी के रूप में आयु में छूट के लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवार को जम्मू व कश्मीर राज्य के उस जिला मजिस्ट्रेट से, जिसके क्षेत्राधिकार में वह सामान्यत: रहा हो या जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा उसके स्थान पर नामित किसी अन्य प्राधिकारी से इस आशय के प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत

करनी होगी कि पहली जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक अविध के दौरान वह सामान्यतः जम्मू एवं कश्मीर राज्य में रहा हो।

- (ii) आयु में छूट चाहने वाले ऐसे उम्मीदवार को जो रक्षा सेवा में कार्य करते हुए अक्षम हुआ है, महानिदेशक पुन: स्थापना, रक्षा मंत्रालय से परिशिष्ट-II में दिए गए फार्म पर इस आशय का एक प्रमाणपत्र लेकर इसकी स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए कि यह रक्षा सेवा में कार्य करते हुए, विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांत क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान अक्षम हुआ और परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुआ।
- (iii) आयु में छूट का दावा करने वाले ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन प्राप्त अधिकारी जैसा उनके अपने मामले में अपेक्षित है, प्रमाण-पत्र की **स्कैन** की गई प्रति संबद्ध प्राधिकारियों से लेकर परिशिष्ट-III में दिए गए प्रपत्र में प्रस्त्त करें।
- (iv) शारीरिक रूप से विकलांग होने के कारण आयु सीमा में छूट तथा/अथवा परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवार, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा परिशिष्ट-IV में दिए गए प्रारूप में जारी किए गए प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति प्रस्त्त करें।

### <u>परिशिष्ट-I</u>

(क) भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमर्त	गे/कुमारी* सुपुत्र/सुपुत्री* श्री
जो गांव/कस्बा*	ਗਿला/मंडल <sup>*</sup>
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*	के/की* निवासी हैंअनुसूचित
जाति/जनजाति <sup>*</sup> के/की <sup>*</sup> हैं, जिसे निम्नि	त्रेखित के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति* के रूप में मान्यता दी गई है :-	

संविधान (अनुस्चित जातियां) आदेश, 1950 @ संविधान (अनुस्चित जनजातियां) आदेश, 1950 @ संविधान (अनुस्चित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 @ संविधान (अनुस्चित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 @

[अनुस्चित जातियां और अनुस्चित जनजातियां की सूची (संशोधन) आदेश, 1956; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम,

1986, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 तथा गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथासंशोधित]

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 @ संविधान (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959, अन्सूचित जातियां तथा अन्सूचित जनजातियां (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथासंशोधित@ संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 @ संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1962 @ संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 @ संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1967 @ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968 @ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1968 @ संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970 @ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 @ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978 @ संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 @ <u>संविधान (अनसचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990 @</u> संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991 @ संविधान (अनुसचित जनजातियां) आदेश (दवितीय संशोधन) अधिनियम, 1991 @ अन्सचित जातियां तथा अन्सचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @ संविधान (अनुसचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @ संविधान (अनुस्चित जातियां तथा अनुस्चित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, <u> 2002 @</u> संविधान (अनुसचित जातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 @ %2 अन्सूचित जातियां/अन्सूचित जनजातियां के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रवर्जन कर चुके हैं। यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/क्मारी\* ------ग्राम/कस्बा<sup>\*</sup> ------ जिला/मंडल<sup>\*</sup> ----------- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र<sup>\*</sup> ------ जो ------ जो --------- जाति/जनजाति\* से संबद्ध हैं जिसे ----- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र\* में अन्सूचित जाति/ जनजाति\* के रूप में मान्यता प्राप्त है के पिता/माता\* श्री/श्रीमती\* ------

प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।

-------दवारा दिनांक------ को----- को जारी

%3 <i>8</i>	भ्री/श्रीमती/कुमारी*	और/या* उनका प	रिवार आमतौर से ग्र	ाम/कस्बा*
		जिला/मंडल*		
राज्य/	संघ राज्य क्षेत्र*	में रहते/र	हिती हैं।	
			हस्त	ाक्षर
			**पदनाम -	
			(का	र्यालय की मोहर)
			राज्य/संघ शासित	क्षेत्र*
स्थान-				
तारीख	Γ			
* जो	शब्द लागू न हों उसे कृपय	ा काट दें ।		
@ कृ	पया राष्ट्रपति का विशिष्ट	आदेश निर्दिष्ट करें ।		
% जो	। पैराग्राफ लागू न हों उसे व	<b>कृ</b> पया काट दें ।		
नोट:-	यहां "आमतौर से रहते/रहत	नी हैं" का अर्थ वही होग	ग जो रिप्रेजेन्टेशन ३	भाफ पीपुल एक्ट,
1950	की धारा 20 में है ।			
** 3	ानुसूचित जाति/अनुसूचित <sup>ः</sup>	जनजाति/अन्य पिछड़े	वर्ग प्रमाण-पत्र जारी	ो करने के लिए
सक्षम	अधिकारियों की सूची :			
(i)	जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त वि	जेला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/	/डिप्टी कमिश्नर/एडीश	ानल डिप्टी
;	कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्र	थम श्रेणी का स्टाइपे	न्डरी मजिस्ट्रेट/##स	ाब डिविजनल
;	मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/	एकजीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/	एक्स्ट्रा असिस्टेन्ट क	जिमश्नर ।
	## (प्रथम श्रेणी के स्टाइपें:	<b>इरी मजिस्ट्रेट के रैंक</b> से	ा नीचे का न हो) ।	
(ii)	चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/एः	डीशनल चीफ प्रेसीडेन्सी	मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी	मजिस्ट्रेट।
(iii)	रेवेन्यू अफसर जिसका ओह	दा तहसीलदार से कम	न हो ।	
(iv)	उस इलाके का सब डिविर	जनल आफिसर जहां :	उम्मीदवार और/या	उसका परिवार
•	आमतौर से रहता हो ।			
/Tar\ (	भारत सरकार के पदों पर	निमस्ति के लिए भावे	वन कार्च बार्च अन	ण गिकने नर्गों के
		•		१ । १४ छ ५ वना क
•	उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत वि	<b>ए जान वाल प्रमाण-प</b>	त्र का फाम ।	
	प्रमाणित किया जाता है	श्री/श्रीमती/क्रमारी*		ਸ਼ਹਤ/ਸ਼ਹਜ਼ੀ*
প্রী/প্রী:	मती	•		
	नरा। >स्बा*			
1	· · · ·	71 - 11 71 -	-,	19 19

निवासी हैं ------ समुदाय के/की हैं जिसे निम्नांकित के अधीन अन्य पिछड़ी श्रेणी होने की मान्यता प्राप्त है :-

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 186 में दिनांक 13 सितम्बर, 1993 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 10 सितम्बर, 1993 का संकल्प सं0 12011/68/93-बी.सी.सी. (सी.)।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 163 में दिनांक 20 अक्तूबर, 1994 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 19 अक्तूबर, 1994 का संकल्प सं0 12011/9/94-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 88 में दिनांक 25 मई, 1995 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 24 मई, 1995 का संकल्प सं0 12011/7/95-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 60 में दिनांक 11 मार्च, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 9 मार्च, 1996 का संकल्प सं0 12011/96/94-बी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 210 में दिनांक 11 दिसम्बर, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 6 दिसम्बर, 1996 का संकल्प सं0 12011/44/96-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 236 में दिनांक 12 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 का संकल्प सं0 12011/99/94-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 239 में दिनांक 17 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 3 दिसम्बर, 1997 का संकल्प सं0 12011/13/97-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 241 में दिनांक 27 अक्तूबर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 27 अक्तूबर, 1999 का संकल्प सं0 12011/68/98-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 270 में 6 दिसम्बर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 6 दिसम्बर, 1999 का संकल्प सं0 12011/88/98-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 71 में दिनांक 4 अप्रैल 2000 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 4 अप्रैल, 2000 का संकल्प सं0 12011/36/99-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 210 में दिनांक 21 सितम्बर, 2000 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 21 सितम्बर, 2000 का संकल्प सं0 12011/44/99-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 246 में दिनांक 6 सितम्बर, 2001 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 6 सितम्बर, 2001 का संकल्प सं0 12011/9/2000-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 151 में दिनांक 20 जून, 2003 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 19 जुन, 2003 का संकल्प सं0 12011/1/2001-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 9 में दिनांक 13 जनवरी, 2004 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 13 जनवरी, 2004 का संकल्प सं0 12011/4/2002-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 10 में दिनांक 16 जनवरी, 2006 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 16 जनवरी, 2006 का संकल्प सं0 12011/9/2004-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 67 में दिनांक 12 मार्च, 2007 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 12 मार्च, 2007 का संकल्प सं0 12011/14/2004-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 232 में दिनांक 18 अगस्त, 2010 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 18 अगस्त, 2010 का संकल्प सं0 12015/2/2007-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 274 में दिनांक 12 अक्तूबर, 2010 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 11 अक्तूबर, 2010 का संकल्प सं0 12015/2/2007-बी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 123 में दिनांक 16 जून, 2011 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 16 जून, 2011 का संकल्प सं0 12015/15/2008-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 257 में दिनांक 8 दिसंबर, 2011 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 8 दिसंबर, 2011 का संकल्प सं0 12015/13/2010-बी.सी.-II।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 41 में दिनांक 17 फरवरी, 2014 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 17 फरवरी, 2014 का संकल्प सं0 12015/05/2011-बी.सी.-II।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 16 में दिनांक 14 जनवरी, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 14 जनवरी, 2015 का संकल्प सं012011/04/2014-बी.सी.-II।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 26 में दिनांक 23 जनवरी, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 23 जनवरी, 2015 का संकल्प सं012011/07/2014-बी.सी.-II।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 144 में दिनांक 27 मई, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 27 मई, 2015 का संकल्प सं012011/01/2015-बी.सी.-II।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 191 में दिनांक 15 जुलाई, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 14 जुलाई, 2015 का संकल्प सं012015/05/2011-बी.सी.-II।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 234 में दिनांक 09 सितंबर, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 09 सितंबर, 2015 का संकल्प सं012011/06/2014-बी.सी.-II।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 160 में दिनांक 26 मई, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 25 मई, 2016 का संकल्प सं012011/13/2016-बी.सी.-II।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 188 में दिनांक 15 जून, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 13 जून, 2016 का संकल्प सं012011/14/2016-बी.सी.-II।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 206 में दिनांक 30 जून, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 30 जून, 2016 का संकल्प सं012011/15/2016-बी.सी.-II

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 266 में दिनांक 11 अगस्त, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 11 अगस्त, 2016 का संकल्प सं012011/04/2014-बी.सी.-II ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 363 में दिनांक 07 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 06 दिसंबर, 2016 का संकल्प सं012011/06/2014-बी.सी.-II ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 374 में दिनांक 22 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 22 दिसंबर, 2016 का संकल्प सं012011/13/2016-बी.सी.-II ।

	@भार	त के	असाधाः	रण राज	पत्र भाग	1,	खण्ड	1,	संख्या	18	में	दिनांक	19	जनव	उरी,
2017	को प्रव	काशित	भारत	सरकार	, सामारि	जेक	न्याय	और	. अधि	कारित	ता	मंत्रालय	दिव	नांक	18
जनवरी	r, 201	7 का	संकल्प	सं0200	12/01/2	017	'-बी.सी	II	I						

2)4-/
श्री/श्रीमती/कुमारी* और/या उनका परिवार सामान्यतया जिला/मंडल* के गांव/करूबा*
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में निवास करते हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह*
कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिनांक 8.9.1993 के का.जा.
सं036012/22/93-स्था0 (एस.सी.टी.), दिनांक 9.3.2004 के का.जा. सं036033/3/2004-
स्था0 (आरक्षण) और दिनांक 14.10.2008 के ज्ञा0 सं0 36033/3/2004-स्था0 (आरक्षण)
तथा दिनांक 27.05.2013 के का.जा. सं. 36033/1/2013-स्था. (आरक्षण) की अनुसूची के
कालम 3 में दिए गए व्यक्तियों/वर्गीं*(सम्पन्न वर्ग अर्थात् क्रीमी लेयर से) संबंधित नहीं है ।
हस्ताक्षर
**पदनाम
(कार्यालय की मोहर)
राज्य/ संघ शासित क्षेत्र
स्थान
तारीख
(1)(1)(d
(ख 1) भगर गारूम के अंतर्गत गरों मा निमस्ति के लिए आवेदन कार्ने बाते अन्य मिलवा
(ख-1) भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा
वर्ग उम्मीदवारों द्वारा विस्तृत आवेदन प्रपत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले परिवचन का
प्रारूप।
<u>परिवचन</u>
<u>417.4401</u>
मैं सुपुत्र/सुपुत्री श्री
निवासी ग्राम/कस्बा/ शहर जिला जिला
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं
समुदाय से संबद्ध हूं जो कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के दिनांक
8.9.1993 के का.ज्ञा. सं036012/22/93-स्था0 (एस.सी.टी.) में निहित आदेशों के अनुसार
सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के तौर पर मान्यता प्राप्त
है। मैं यह भी घोषित करता/करती हूं कि मैं समय-समय पर संशोधित किए गए दिनांक
8.9.1993 के ऊपर संदर्भित का.जा. और दिनांक 9.3.2004 तथा दिनांक 14.10.2008 के

का.ज्ञा. सं. 36033/3/2004-स्था0 (आरक्षण) तथा दिनांक 27.5.2013 के का.ज्ञा. सं.36033/1/2013-स्था.(आरक्षण) की अनुसूची के कालम 3 में दिए गए व्यक्तियों/वर्गों \*(सम्पन्न वर्ग अर्थात् क्रीमी लेयर से) संबंधित नहीं हूं ।

	हस्त	क्षर	
उम्मीदवार का			
अनुक्रमांक-			

नोट: यहां "आमतौर से रहते/रहती हैं" का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

- \* उन शब्दों को हटा दें जो लागू न हों।
- \*\* अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) का प्रमाण-पत्र जारी करने के लए सक्षम प्राधिकारी वहीं रहेंगे जो अ.जा./अ.ज.जा. के प्रमाण-पत्र जारी करने के लए सक्षम हैं । @ जो लागू न हों उसे हटा दें ।
- टिप्पणी 1: अन्य पिछड़ी श्रेणियों का होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि उनके प्रमाण-पत्र में दी गई उनकी जाति का नाम (वर्तनी सिहत) ठीक वही होना चाहिए जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में प्रकाशित किया गया है। जिस प्रमाण-पत्र में जाति के नाम में किसी प्रकार की भिन्नता होगी, उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- टिप्पणी 2: उम्मीदवार के अन्य पिछड़ी श्रेणी के होने के दावे का निर्धारण उस राज्य (या उस राज्य के किसी भाग) के आधार पर किया जाएगा जिससे उसके पिता मूलत: सम्बद्ध हैं । अत: वह उम्मीदवार जो एक राज्य (या राज्य के किसी भाग) में प्रव्रजन कर चुका है उसे अन्य पिछड़ी श्रेणी का वह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए जो उसे उसके पिता को उस राज्य जिसमें (पिता) मूलत: सम्बद्ध है से प्राप्त अन्य पिछड़ी श्रेणी के प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया गया हो।
- टिप्पणी 3: आयोग, सामान्यतः उम्मीदवार द्वारा इस परीक्षा के लिए अपने सरलीकृत आवेदन-प्रपत्र में दर्शायी गई जातीय स्थिति में किसी आधार पर किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं देगा।

### <u>परिशिष्ट-II</u>

उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रपत्र निम्नानुसार है:-

	प्रमाणित	किया	जाता है	के कि	सं		रैंक	<del></del>	
नाम					यूनि	E	,	रक्षा सेव	गओं में कार्य
करते	ह्ए, विदेशी	ो शत्रु-दे	श के स	ाथ संघा	र्ष में/अशांति	तेग्रस्त क्षेत्र	* में फौ	जी कार्रव	ाई के दौरान
	गंग हुए औ								
	J						,		
							हस्त	ाक्षर	
							पद	नाम	
							दि	नांक	
$\rightarrow$	·		<del></del>	×					

\*जो शब्द लागू न हो उसे कृपया काट दें ।

## <u>परिशिष्ट-III</u>

## (क) कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए लागू प्रमाण-पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि सं रैंक रैंक
नाम है, ने से तक
थल सेना/नौसेना/वायु सेना में सेवा की है और वह निम्नलिखित में से <b>एक</b> शर्त पूरी करते
हैं:-
(क) उन्होंने पांच या उससे अधिक वर्ष की सैन्य सेवा की है और वे सुपुर्द कार्य की समाप्ति
पर कार्यमुक्त हुए हैं, न कि उन्हें कदाचार अथवा अकुशलता के कारण बर्खास्त या कार्यमुक्त
किया गया है।
(ख) वे सैनिक सेवा के कारण हुई शारीरिक विकलांगता अथवा अक्षमता के कारण को कार्यमुक्त हुए हैं ।
स्थान:
तारीख:
सक्षम प्राधिकारी का नाम और पदनाम
मुहर
(ख) सेवारत कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र का फार्म (उन सेवारत कार्मिकों पर लागू होगा जिन्हें एक वर्ष के भीतर कार्यमुक्त किया जाना है)।
मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सं
रैंक दिनांक से
थल सेना/नौ सेना/वाय् सेना में सेवारत हैं और दिनांक को सशस्त्र
सेनाओं में अपने विनियोजन की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी करने वाले हैं ।
सेनाओं में अपने विनियोजन की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी करने वाले हैं । स्थान
•
स्थान

"ख" प्रमाण पत्र देने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित परिवचन प्रस्त्त करना होगा :-

### उम्मीदवारों द्वारा दिया जाने वाला परिवचन :

मुझे जात है कि यदि इस आवेदन-प्रपत्र से संबंधित भर्ती/परीक्षा के आधार पर चयन हो जाता है तो मेरी यह नियुक्ति मेरे द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को इस आशय का दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत करने के अधीन होगी कि मैं सशस्त्र सेनाओं से विधिवत् रूप से निर्मुक्त/सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त हो गया हूं और यह कि समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं तथा पदों में पुनर्नियोजन) नियमावली, 1979 की शर्तों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ग्राह्य लाभों का हकदार हूँ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
स्थान
दिनांक
(ग) प्रमाण-पत्र का यह फार्म उन सेवारत आपातकालीन कमीशन अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन अधिकारियों पर लागू होगा जिन्होंने अपनी सेवा की प्रारंभिक नियुक्ति अवधि पहले ही पूरी कर ली है और नियुक्ति की बढ़ाई गई अवधि पर हैं ।
यह प्रमाणित किया जाता है कि सं रैंक रैंक
नाम है,
थल सेना/नौसेना/ वायु सेना में सेवारत हैं।
2. उन्होंने पहले ही प्रारंभिक कार्यकाल की पांच वर्ष की सेवाको पूरी कर ली है और अब वेको पूरी कर ली
3. सिविल रोज़गार हेतु उनके द्वारा आवेदन-पत्र देने के संबंध में कोई आपित्त नहीं है
तथा उनका चयन हो जाने पर उन्हें निय्क्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के
नोटिस पर कार्यमुक्त किया जाएगा।
सक्षम प्राधिकारी का नाम और पदनाम मोहर
स्थान
दिनांक

प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित हैं:-

- (क) आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सिहत कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में :-थल सेना--मिलिटरी सचिव शाखा, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली। नौसेना -- कार्मिक निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली। वायु सेना - कार्मिक/ अधिकारी निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।
- (ख) जे.सी.ओ./ओ.आर. तथा नौसेना और वायु सेना के समकक्ष के मामले में:-थल सेना --- विभिन्न क्षेत्रीय रिकार्ड कार्यालय द्वारा । नौसेना --- बी.ए.बी.एस., मुंबई । वायु सेना --- वायु सेना रिकार्ड (एन.ई.आर.डब्ल्यू.), नई दिल्ली ।
- 9. बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी के उम्मीदवारों को सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2018 के नियम 19 में निर्दिष्ट शारीरिक अपेक्षाओं/ योग्यताओं में से एक अथवा अधिक को पूर्ण करना होगा और केंद्र/ राज्य सरकार के अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा फॉर्म V/ फॉर्म VI में जारी अशक्तता प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी।

नोट ।: आयु सीमा में छूट के उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति हेतु तभी पात्र माना जाएगा जब (सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित किसी शारीरिक जांच के बाद) यह पाया जाता है कि वह सरकार द्वारा बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों को आबंटित की जाने वाली संबंधित सेवाओं/पदों के संबंध में शारीरिक और चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करता/ करती है।

नोट II: उम्मीदवार यह नोट कर लें कि उनके अ.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.व./ बेंच मार्क विकलांगता युक्त व्यक्तियों/ पूर्व सैनिक होने संबंधी प्रमाणपत्र सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2018 के माध्यम से सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि (अर्थात 25.05.2018 से पहले) से पहले जारी हुए होने चाहिए जैसा कि परीक्षा की नियमावली के नियम 21 में निर्दिष्ट किया गया है।

## <u>परिशिष्ट-IV</u>

## <u>प्रपत्र - IV</u>

## बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों द्वारा विकलांगता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र

1.	नाम					
		(उपनाम)	(प्रथम नाम)	)	(मध्य	नाम)
2.	पिता का ना	ਸ	माता व	का ना	ਸ	
3.		/_				
			ाह) (वर्ष)			
4.	आवेदन के र	समय आय् : _			वर्ष	
5.	लिंग : पुरूष	. •				
6.	पता :					
(क) र	ऱ्थायी पता			(ख)	वर्तमान	पता (अर्थात् पत्राचार के लिए)
_						
_						
_						
(ग) व	र्तमान पते पर	र निवास करने	ा की अवधि _			
7. शैक्ष	ाणिक योग्यत	ा (कृपया जो	लागू हो उसे ि	चेन्हि	त करें)	
	(i)	स्नातकोत	तर			
	(ii)	स्नातक				
	(iii)	डिप्लोमा				
	(iv)	हायर सेवें	इरी			
	(v)	हाई स्कूल	Г			
	(vi)	 मिडिल				
	(vii)	प्राइमरी				
	(viii)	अशिक्षित				
8.	व्यवसाय					
9.	पहचान के ि	चेन्ह (i)		(	(ii)	
10.	अशक्तता की	ो प्रकृति : चल	ाने में असमर्थ	/श्रवण	ा बाधित/	दृष्टि बाधित/ मानसिक/अन्य
11.	वह अवधि उ	नब से अशक्त	हैं : जन्म से	/वर्ष	३	मे

- 12. (i) क्या आपने पूर्व में कभी अशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया है ..... हां/नही
  - (ii) यदि हां, तो विवरण दें :
    - (क) किस प्राधिकारी और जिले में आवेदन किया है.....
    - (ख) आवेदन का परिणाम .....
- 13. क्या आपको पूर्व में कभी अशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? यदि हां, तो कृपया सही प्रतिलिपि संलग्न करें।

घोषणा : मैं एतदद्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि उपर्युक्त सभी विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं गई है अथवा गलत नहीं व्यक्त की गई है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि यदि मेरे आवेदन पत्र में कोई गलती पाई जाती है तो मुझे प्राप्त लाभ, यदि कोई हो, जब्त किया जा सकता है और विधि के अनुसार मेरे विरुद्ध अन्य कार्रवाई की जा सकती है।

(बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर अथवा बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अथवा मानसिक अशक्तता (मेंटल रिटार्डेशन), ऑटिज्म, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात और एकाधिक अशक्तता वाले व्यक्तियों के मामले में उनके विधिक संरक्षक के हस्ताक्षर अथवा बाएं हाथ के अंगूठे का निशान)

<u>दिनांक</u>:

<u>स्थान</u> :

### संलग्नक :

- 1. निवास का प्रमाण (कृपया जो लागू हो उसे चिन्हित करें)
  - (क) राशन कार्ड,
  - (ख) मतदाता पहचान पत्र,
  - (ग) ड्राइविंग लाइसेंस,
  - (घ) बैंक पासब्क,
  - (इ.) पैन काई,
  - (च) पासपोर्ट,
  - (छ) टेलीफोन, विद्युत, जल और अन्य उपभोज्य बिल जिसमें आवेदक का पता लिखा हो,
  - (ज) पंचायत, नगरपालिका, छावनी बोर्ड, किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा संबंधित पटवारी अथवा किसी सरकारी स्कूल के हैडमास्टर द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र,
  - (झ) अशक्त, निराश्रित, मानसिक रोग, आदि से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए निवास संस्थान के मामले में ऐसे संस्थान के प्रमुख से निवास प्रमाण पत्र

2.	पासपोर्ट आकार के दो नवीनतम फोटोग्राफ

(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)

दिनांक :	जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर
स्थान :	मोहर

### <u>प्रपत्र - V</u>

### अशक्तता प्रमाण पत्र

### (अंगों के विच्छेदन या पूर्ण स्थायी पक्षाघात या बौनेपन और अंधता के मामले में) [नियम 18 (1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

अशक्त व्यक्ति का वर्तमान पासपोर्ट आकार का स्व-अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)

प्रमाण पत्र सं.	दि	नांक :			
यह प्रमाणित किया जाता	है कि मैंने श्री/श्रीमत	गे/कमारी			
पत्र/पत्नी/पत्री श्री		उ जन्म ति	খি	(दिनांक	/माह/वर्ष)
आयु वर्ष, पुरुष/महिला	पंजीकरण सं.		स्थायी निव	ासी मकान	नं.
वार्ड/ग्राम/स्ट्रीट					
राज्य और र्					े और मैं
संतुष्ट हूं कि वह		•	^		
क) वह निम्न रोग से ग्रस्त हैं:					
• चलने में असमर्थ					
• बौनापन					
• दृष्टिहीनता					
(कृपया जो लागू हो उ	मे चिन्हित करें)				
(ख) उनके मामले में					
(ग) मार्गनिर्देशों के अनुसार		टिशारि	नेर्देश जारी कर	ने की निशि भें	क्रिक्टां र्
निर्दिष्ट किए जाएं) उन्हें					
अंग) के संबंध में स्थायी			אונוגונו (ג	1941 01) 30147	(((((( 4)
जण) क संबंध न स्थाया	सारारिक जवानता/हा॰८	्यापता हा			
2. आवेदक ने अपने निवास के	प्रमाण स्वरूप निम्नति	वेखित दस्तावेज ।	प्रस्तुत किए हैं:-		
दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख		प्रमाण पत्र जा	री करने वाले प्रा	धिकारी
			का विवरण		
	(	अधिसूचित चिकि	त्सा प्राधिकारी	के प्राधिकृत हस्त	गक्षरकर्ता)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से अशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

### <u>प्रपत्र -VI</u>

### अशक्तता प्रमाण पत्र

## (एकाधिक अशक्तता के मामले में)

[कृपया नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

अशक्त व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का सत्यापित वर्तमान फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)

प्रमाण प	ात्र सं.	दिनांक	:	
,	प्रमाणित किया जाता है '	कि मैंने श्री/श्रीमती/क्मारी		पुत्र/पत्नी/पुत्री
श्री		जन्म तिथि		आयु वर्ष, पुरूष/महिला
			क्र / माह / वर्ष	•
पंजीकरण	सं	स्थायी निवासी मकान	नं	वार्ड/ग्राम/ स्ट्रीट
डाकघर _	ਗਿला	राज्य	औ	र जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया
	ग्रानपूर्वक जांच कर ली है अं			
(क) वह	एकाधिक अशक्तता से ग्रर	स्त हैं। उनके स्थायी शारी	रिक दौर्बल्य/अश	!क्तता की सीमा को दिशा-निर्देशों के
अनुसार (	दिशा-निर्देशों की	संख्या और इन्हें जारी वि	ज्य जाने की त	रीख का विशेष रूप से उल्लेख किया
जाए) आव	मितित किया गया है और र्न	ोचे तालिका में संगत अशव	त्तता के सामने	दर्शाया गया है:
क्रम	अशक्तता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/
सं.				मानसिक अक्षमता (% में)
1.	चलने में असमर्थ	@		
2.	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी			
3.	कुष्ठ उपचारित			
	(लेपरसी क्योर्ड)			
4.	बौनापन (ड्वार्फिज्म)			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
	(सेरिब्रल पॉल्सी)			
6.	तेजाबी हमला पीड़ित			
7.	कम दृष्टि	#		
8.	दृष्टिहीन	दोनों आंखों से		
9.	बधिर	£		
10.	श्रवण बाधित	£		
11.	वाक एवं भाषा संबंधी			
	अशक्तता(स्पीच एंड			
	लैंग्वेज डिजेबिलिटी)			
12.	बौद्धिक अशक्तता			
	(इंटेलेक्चुअल			
	डिजेबिलिटी)			
13.	अध्ययन संबंधी			
1	विशिष्ट भशक्तना			

(स्पेसिफिक लर्निंग

	डिजेबिलिटी)			
14.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम			
	डिजॉर्डर			
15.	मानसिक व्याधि			
16.	पुराने तंत्रिका रोग			
	(क्रॉनिक न्यूरॉलॉजिकल			
	कंडीशन्स)			
17.	मल्टीपल स्क्लेरॉसिस			
18.	पार्किंसन्स रोग			
19.	हीमोफीलिया			
20.	थैलेसीमिया			
21.	सिकल सेल रोग			
	ारीख का विशेष रूप से उ :	ल्लेख किया जाए), उनका स प्रतिशत	ामग्र शारीरिव	क दौबेल्य निम्नानुसार है:-
ाष्ट्रा में :	•		प्रतिशत	
	————————— म मिशनि के भागे भीर न	- दने/न बढ़ने/स्थिति में स्धाः	_	न होने की मंभावना है।
	शक्तता का प्न: आकलन	J	Contiguit	or the 4% Charles (1)
	) आवश्यक नहीं है,	•		
ζ-,	अथवा			
(ii		है/ वर्षोंमाह के उप	नरांत और ड	सिलए यह प्रमाण पत्र
`	ं तक के लिए वैध रहेगा		•	् (दिनांक) (माह) (वर्ष)
@	उदाहरण बायां/दायां/द			
#	उदाहरण एक आंख/दे	ोनों आंख		
£	उदाहरण बायां/दायां/द	ोनों कान		
l. 31	ावेदक ने अपने निवास वे	, प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित	त दस्तावेज	प्रस्तुत किया है:-
दस्तावेज	की प्रकृति	जारी करने की तारीख		प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी
				का विवरण
ि	ोकित्मा पाधिकारी के हम्त	गक्षर भीर मोदर		

5.

सदस्य का नाम और मोहर	सदस्य का नाम और मोहर	अध्यक्ष का नाम और मोहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

#### प्रपत्र -VII

### अशक्तता प्रमाण पत्र

(उन मामले में, जिनका उल्लेख प्रपत्र V और VI में नहीं किया गया है) (प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता) (कृपया नियम 18(1) देखें)

> अशक्त व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का सत्यापित वर्तमान फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)

प्रमाण पत्र सं.		दिनांक :	
			आयु वर्ष, पुरुष/महिला
		(दिनांक / माह /	वर्ष)
गंजीकरण सं. <u> </u>	स्थ	ायी निवासी मकान नं	वार्ड/ग्राम/ स्ट्रीट
जकघर	_	राज्य	और जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गय
हे, की ध्यानपूर्वक जांच	कर ली है और मैं सं	तुष्ट हूं कि वह	अशक्तता से ग्रस्त हैं। उनके स्थार्य

है, की ध्यानपूर्वक जांच कर ली है और मैं संतुष्ट हूं कि वह \_\_\_\_\_\_\_\_ अशक्तता से ग्रस्त हैं। उनके स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/अशक्तता की सीमा की प्रतिशततता को दिशा-निर्देशों के अनुसार ( ...............दिशा-निर्देशों की संख्या और इन्हें जारी किए जाने की तारीख का विशेष रूप से उल्लेख किया जाए) आकलित किया गया है और नीचे तालिका में संगत अशक्तता के सामने दर्शाया गया है:
| क्रम | अशक्तता | शरीर का प्रभावित अंग | निदान | स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/ मानसिक अक्षमता (% में)

क्रम	अशक्तता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/
सं.				मानसिक अक्षमता (% में)
1.	चलने में असमर्थ	@		
2.	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी			
3.	कुष्ठ उपचारित			
	(लेपरसी क्योर्ड)			
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
	(सेरिब्रल पॉल्सी)			
5.	तेजाबी हमला पीडि़त			
6.	कम दृष्टि	#		
7.	बधिर	€		
8.	श्रवण बाधित	€		
9.	वाक एवं भाषा संबंधी			
	अशक्तता(स्पीच एंड			
	लैंग्वेज डिजेबिलिटी)			
10.	बौद्धिक अशक्तता			
	(इंटेलेक्चुअल			
	डिजेबिलिटी)			
11.	अध्ययन संबंधी			

	विशिष्ट अशक्तता		
	(स्पेसिफिक लर्निंग		
	डिजेबिलिटी)		
12.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम		
	डिजॉर्डर		
13.	मानसिक व्याधि		
14.	पुराने तंत्रिका रोग		
	(क्रॉनिक		
	न्यूरॉलॉजिकल		
	कंडीशन्स)		
15.	मल्टीपल स्क्लेरॉसिस		
16.	पार्किसन्स रोग		
17.	हीमोफीलिया		
18.	थैलेसीमिया		
19.	सिकल सेल रोग		

(जो अशक्तता लागू न हो कृपया उसे काट दें।)

- 2. इस स्थिति के आगे और बढ़ने/न बढ़ने/स्थिति में सुधार होने/सुधार न होने की संभावना है।
- 3. अशक्तता का पुन: आकलन :
  - (i) आवश्यक नहीं है,

अथवा

- (ii) की अनुशंसा की जाती है/..... वर्षों ......माह के उपरांत और इसलिए यह प्रमाण पत्र ...... पतक के लिए वैध रहेगा । (दिनांक) (माह) (वर्ष)
- @ उदाहरण बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर
- # उदाहरण एक आंख/दोनों आंख
- £ उदाहरण बायां/दायां/दोनों कान
- 4. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी
		का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) (नाम और मोहर)

प्रतिहस्ताक्षर

{यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/ सरकारी अस्पताल के प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर (मोहर सहित)}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से प्रमाण पत्र जारी किया गया है। टिप्पणी : यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो एक सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने पर ही मान्य होगा।

### प्रपत्र -VIII

[अशक्तता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की अस्वीकृति की सूचना] (कृपया नियम 18(4) देखें)

सं दिनांक :
सेवा में,
(अशक्तता प्रमाण पत्र के आवेदक का नाम और पता)
विषय: <u>अशक्तता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की अस्वीकृति</u> ।
महोदय/महोदया,
कृपया दिनांक के अपने आवेदन का संदर्भ लें जो निम्नलिखित अशक्तता हेतु अशक्तता प्रमाण पत्र जारी किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया:
2. उपरोक्त आवेदन के संदर्भ में दिनांक को अधोहस्ताक्षरी/चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आपका चिकित्सा परीक्षण किया गया और मुझे यह सूचित करते हुए खेद है कि निम्नलिखित कारणों से आपको अशक्तता प्रमाण पत्र जारी करना संभव नहीं हो पाया है:
(i) (ii) (iii)
3. यदि आप अपने आवेदन को अस्वीकार किए जाने से असंतुष्ट हैं, तो इस निर्णय की समीक्षा हेतु अपना अभ्यावेदन को प्रस्तुत कर सकते हैं।
भवदीय,
(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) (नाम और मोहर)

10. उम्मीदवार यह नोट कर लें कि सम्मिलित चिकित्सा सेवा, 2018 के लिए उनकी उम्मीदवारी पूर्णतः अनंतिम है, जो उनके द्वारा निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन है। यदि परीक्षा के पहले या बाद में किसी भी स्तर पर जांच करने पर यह पाया गया कि वे पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी।

उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत की जानी हैं।

टिप्पणी :- उम्मीदवार, मुद्रित ऑनलाइन आवेदन-प्रपत्र के साथ भेजे जाने वाले सभी प्रमाण-पत्रों की स्कैन की गई प्रतियों पर हस्ताक्षर करें और तारीख भी लिखें।

- 11. जिन मामलों ऑनलाइन विस्तृत आवेदन-प्रपत्र सभी अनुलग्नकों रहित या मात्र कुछेक अनुलग्नकों सिहत प्राप्त होंगे, उनमें संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि उम्मीदवार छूट गए दस्तावेजों को बाद में भेजते हैं तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन-प्रपत्र की स्कैन की गई प्रतियां भली-भांति भरी गई हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र, सभी संगत दस्तावेजों सिहत, निर्धारित समय-सीमा के अंदर जमा किया गया है। आवेदन-प्रपत्र का कोई भी कॉलम रिक्त न छोडा जाए।
- 12. उम्मीदवार, अपने आवेदन-पत्र के संबंध में आयोग को जो पत्रादि भेजें, उनमें परीक्षा का नाम, अपना पूरा नाम, अनुक्रमांक, पंजीकरण आईडी(11 अंकीय) तथा अपनी जन्म तिथि अवश्य लिखें।

\*\*\*\*\*

### UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

#### **COMBINED MEDICAL SERVICES EXAMINATION, 2018**

#### INSTRUCTIONS TO CANDIDATES FOR FILLING IN THE DETAILED APPLICATION FORM

The candidates should read these instructions carefully before filling in the online Detailed Application Form. The candidate should also scan their relevant original documents as listed below in 200 dpi grey scale and convert to a single pdf file up to 2 mb, before filling in the online Detailed Application Form (DAF). The pdf file so created must not be password protected and it should be uploaded along with the online submission of DAF.

- Scanned copy of the certificate of age.
- (II) Scanned copy of the certificates showing his/her educational qualification prescribed in para 3(iii) of the Notice of the Examination uploaded on the website of Commission and **Rule 6** of the Rules of Examination published in the Gazette of India dated 2<sup>nd</sup> May, 2018.
- (III) Scanned copy of the certificate in support of claim to belong to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Physically Handicapped (wherever applicable).
- (IV) A scanned copy of Undertaking duly signed by the candidate seeking relaxation as OBC candidate in support of claim of not belonging to creamy layer, to be given in format as mentioned in para B-1 of Appendix I.
- (V) A scanned copy of duly filled in and signed proforma given as Annexure to Detailed Application Form by the Candidate seeking relaxation as OBC candidate.
- (VI) Scanned copy of the certificate in support of claim of age relaxation, wherever applicable.
- (VII) Scanned copy of the certificate in support of claim to being Persons with Benchmark Disability (wherever applicable).

Duly signed copy of the online Detailed Application Form alongwith originals of the above certificates are required to be produced along with self certified copies of all the documents at the time of interview or within the last day of interview, which will be published in the Commission's website in due course, failing which their candidature is liable to be cancelled. It may also be noted that in no case the last date of verification of certificates will be extended. Candidates must also note that they should upload only the scanned copies of the original documents and no document is required to be sent by post.

2. Candidates are advised to read carefully the Rules of the Examination, which include conditions of eligibility etc. as published in the Gazette of India dated 2<sup>nd</sup> May, 2018. They should note that no correspondence will be entertained by the Commission from candidates to change any of the entries made in the application form. They should, therefore, take special care to fill up the online application form correctly.

In case there are any incomplete or misleading entries, the candidates will be responsible for the consequences thereof.

- 3. Candidates are requested to specify clearly in the relevant column of the application form the Services/Posts for which they wish to be considered in order of preference. They are advised to indicate as many preferences as they wish to so that having regard to the rank in the order of merit, due consideration can be given to their preferences when making appointment.
- **Note I:** Candidates for the post of Asstt. Divisional Medical Officer in the Railways are also required to give their option for not more than five Zonal Railways in order of

preference. While making their allocation to the various Zonal Railways these preferences shall be taken into consideration but it does not mean that the candidate shall be allocated to one of these Railways only. As the service is meant to cover the entire country, a candidate is transferable to any zone of the Indian Railways.

- **Note II:** No request for addition/alteration in the preferences already indicated by a candidate in his/her application will be entertained by the Commission.
- 4. The information earlier given by candidates in the application form for the Examination will be cross-checked with the information given by them in this application form. If there are any serious discrepancies, their candidature will be cancelled.
- 5. A candidate who claims to belong to any of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes should submit in support of his/her claim **a scanned** copy of the certificate in the form given **in Appendix-I** from the District Officer or the Sub-Divisional Officer or any other officer as indicated below of the district in which his/her parents (or surviving parents) ordinarily reside. Such an officer should have been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate. If both his/her parents are dead, the officer signing the certificate should be of the district in which the candidate himself/herself ordinarily resides otherwise than for the purpose of his/her own education.
- 6. A candidate must submit alongwith his/her application **a scanned** copy of the certificate showing his/her educational qualification prescribed in para 3(iii) of the Notice for the Examination uploaded on the website of Commission on 2<sup>nd</sup> May, 2018 and in Rule 6 of the rules for the Examination published in the Gazette of India dated 2<sup>nd</sup> May, 2018. The certificate uploaded must be one issued by the authority (i.e. University or other examining body) awarding the particular qualification.
- 7. A candidate must **upload** with his/her **online Detailed Application From a scanned** copy of certificate of age (including his/her date of birth). The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University which must be certified by the proper authority of the University. A candidate who has passed the Higher Secondary Examination or an equivalent Examination may submit **a scanned** copy of the Higher Secondary Examination certificate or an equivalent certificate.

No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, Service Records and the like, will be accepted.

The expression Matriculation/Higher Secondary Examination certificate in this part of the instruction includes the alternative certificate mentioned above.

Sometimes the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate does not show the date of birth or only shows the age by completed years or completed years and months. In such cases, a candidate must send in addition to the Matriculation/Higher Secondary Examination certificate **a scanned** copy of the certificate from the Headmaster/Principal of the Institution from where he/she passed the Matriculation/Higher Secondary Examination, showing date of his/her birth or his/her exact age as recorded in the Admission Register of the Institution.

Candidates are warned that unless complete proof of age as laid down in these instructions is sent with the application, the candidature of the candidate will be rejected.

- Note 1: A CANDIDATE WHO HOLDS A COMPLETED SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE NEED SUBMIT A SCANNED COPY OF THE PAGE CONTAINING ENTRIES RELATING TO AGE ONLY.
- Note 2: CANDIDATES SHOULD NOTE THAT ONLY THE DATE OF BIRTH AS RECORDED IN THE MATRICULATION / HIGHER SECONDARY EXAMINATION CERTIFICATE OR AN EQUIVALENT CERTIFICATE ON THE DATE OF SUBMISSION OF APPLICATION WILL BE ACCEPTED BY THE COMMISSION AND NO

SUBSEQUENT REQUEST FOR ITS CHANGE WILL BE CONSIDERED OR GRANTED.

- 8 (i) A candidate claiming age-relaxation as a domicile of the State of Jammu and Kashmir should upload **a scanned** copy of a certificate from the District Magistrate within whose jurisdiction he/she had ordinarily resided or from any other authority designated in that behalf by the Government of Jammu and Kashmir to the effect that he/she had ordinarily been domiciled in the State of Jammu and Kashmir during the period from the 1st January, 1980 to the 31st day of December, 1989.
- (ii) A candidate disabled while in the Defence Services claiming age concession should upload a **scanned** copy of the certificate in the form **given in Appendix-II** from the Director General Resettlement, Ministry of Defence to show that he was disabled while in the Defence Services in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof.
- (iii) Ex-servicemen including the Commissioned Officers and ECOs/SSCOs claiming age concession should produce **a scanned** copy of the certificate as applicable to them, in the form **given in Appendix-III** from the authorities concerned.
- (iv) A candidate who has claimed age relaxation and/or fee exemption on account of his being Persons with Benchmark Disability must submit a scanned copy of the certificate issued by a Medical Board duly constituted by the Central/State Government in the format given in **Appendix-IV**.

### Appendix-I

A.	The form of certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes
	candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

This is to	certify th	nat Shri/S	Shrimati/Kuma	ari*			
son/daughter* c							
District/Division*		of the	State/Union	Territory	/*	belor	ngs to the
	caste/tribe*	which is	recognised	as a Sch	neduled	Caste/Schedu	led Tribe*
under :			-				

the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950@.

the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950@.

the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951@.

the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951@.

[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification) Order, 1956; the Bombay Reorganisation Act, 1960; the Punjab Reorganisation Act, 1966; the State of Himachal Pradesh Act, 1970; the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976. the State of Mizoram Act, 1986, the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman & Diu (Reorganisation) Act, 1987.]

the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956@.

the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended

by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976. @

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962.@

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962.@

the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.@

the Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967.@

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968.@

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.@

the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.@
the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978.@
the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.@
the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989.@
the Constitution (SC) Order (Amendment) Act, 1990.@
the Constitution (ST) Order (Amendment) Act, 1991.@
the Constitution (ST) Order (Second Amendment) Act, 1991.@
the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2002@
the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2002@
the Constitution (Scheduled Castes) Order (Second Amendment) Act, 2002@
%2. Applicable in the case of Scheduled Caste/Scheduled Tribe persons who have migrated from one State/Union Territory Administration to another.
This certificate is issued on the basis of the Scheduled Caste/Scheduled Tribe* certificate issued to Shri/Shrimati* Father/Mother of Shri/Shrimati/Kumari* of village town* in District Division* of the State/Union Territory* who belongs to the caste/scheduled Tribe* in the State/Union Territory* of issued by the dated
% 3. Shri/Shrimati/Kumari*
Place : Date :
*Please delete the words which are not applicable.  @ Please quote specific Presidential Order.  % Delete the paragraph which is not applicable.
Note: The term "Ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.  **List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC Certificates.  (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/ Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/†Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner.  †(not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).
(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
(iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
(iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family normally
resides.
resides.  (B) The form of certificate to be produced by Other Backward Classes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.
(B) The form of certificate to be produced by Other Backward Classes candidates

- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/68/93-BCC(C) dated 10th September, 1993 published in the Gazette of India, Extraordinary Part-I, Section-1, No.186 dated the 13th September, 1993.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/9/94-BCC dated 19-10-94, published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.163 dated 20-10-1994.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/7/95-BCC dated 24-5-95, published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.88 dated 25-5-1995.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/96/94-BCC dated 9th March, 1996 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.60 dated 11th March, 1996.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/44/96-BCC dated 6th December, 1996 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.210 dated 11-12-1996.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/99/94-BCC dated the 11th December, 1997 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.236 dated the 12th December, 1997.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/13/97-BCC dated the 3rd December, 1997 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section-1, No. 239 dated the 17th December, 1997.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/68/98-BCC dated the 27th October, 1999 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 241 dated the 27th October, 1999.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/88/98-BCC dated the 6th December, 1999 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 270 dated the 6th December, 1999.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/36/99-BCC dated 4th April, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 71 dated the 4th April, 2000.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/44/99-BCC dated the 21st September, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 210 dated the 21st September, 2000.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/9/2000-BCC dated the 6th September, 2001 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 246 dated the 6th September, 2001.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated 19th June, 2003 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.151 dated the 20th June, 2003.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13th January, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 9 dated the 13th January, 2004.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/9/2004-BCC dated 16th January, 2006 published in the Gazette of India Extraordi-nary Part-I, Section-1, No. 10 dated the 16th January, 2006.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/14/2004-BCC dated 12th March, 2007 published in the Gazette of India Extraordi-nary Part-I, Section-1, No. 67 dated the 12th March, 2007.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12015/2/2007-BCC dated 18th August, 2010 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 232 dated the 18th August, 2010.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12015/2/2007-BCC dated 11th October, 2010 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.274 dated the 12th October, 2010.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12015/15/2008-BCC dated 16th June, 2011 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.123 dated the 16th June, 2011.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12015/13/2010-BC-II dated 8th December, 2011 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 257 dated the 8th December, 2011.

- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/05/2011-BC-II dated the 17th February, 2014 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.41 dated the 17th February, 2014.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/04/2014-BC-II dated the 14<sup>th</sup> January, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.16 dated the 14<sup>th</sup> January, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/07/2014-BC-II dated the 23<sup>rd</sup> January, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.26 dated the 23<sup>rd</sup> January, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/01/2015-BC-II dated the 27<sup>th</sup> May, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.144 dated the 27<sup>th</sup> May, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/05/2011-BC-II dated the 14<sup>th</sup> July, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.191 dated the 15<sup>th</sup> July, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/06/2014-BC-II dated the 09<sup>th</sup> September, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.234 dated the 09<sup>th</sup> September, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/13/2016-BC-II dated the 25<sup>th</sup> May, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.160 dated the 26<sup>th</sup> May, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/14/2016-BC-II dated the 13<sup>th</sup> June, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.188 dated the 15<sup>th</sup> June, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/15/2016-BC-II dated the 30<sup>th</sup> June, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.206 dated the 30<sup>th</sup> June, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/04/2014-BC-II dated the 11<sup>th</sup> August, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.266 dated the 11<sup>th</sup> August, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/06/2014-BC-II dated the  $06^{th}$  December, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.363 dated the  $07^{th}$  December, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/13/2016-BC-II dated the 22<sup>nd</sup> December, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.374 dated the 22<sup>nd</sup> December, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.20012/01/2017-BC-II dated the 18<sup>th</sup> January, 2017 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.18 dated the 19<sup>th</sup> January, 2017.

Shri/Shrimati/Kuma	ทั*	and/or*	his/her*	family	ordinarily	reside(s	s) ir
village/town*	of District/Division* o	of the		S	tate/Union	Territor	y* 0
This	is also to certify that he/she* do	oes not belong	g to the pe	ersons/s	ections* (C	Creamy L	_ayer
mentioned in column 3 of	the Schedule to the Governm	nent of India, Ì	Departme	nt of Pe	rsonnel &	Training	O.M
No. 36012/22/93-Estt(SC	T) dated 8-9-1993, O.M. N	lo. 36033/3/	2004-Es	tt.(Res	s.) dated	9th Ma	arch,
2004 and O.M.	No. 36033/3/2004-Estt.(	(Res.) dat	ed 14t	h Oc	tober,	2008	and
O.M.No.36033/1/2013	B-Estt. (Res.) dated 27th M	Àay, 2013.					
			**De	signat	ion of office)		
Place							
Date							
(D 4) The fermest of	dautaldina ta ba fiinu	متحلمات المحاسلة		41- a D	المحالحة	A	.4:

(B-1) The format of undertaking to be furnished along with the Detailed Application Form by Other Backward Class candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

<u>UNDERTAKING</u>
I son/daughter of Shri
resident of Village/Town/City District
community which is recognized as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services as per orders contained in Department of Personnel & Training Office Memorandum No.36012/22/93-Estt(SCT) dated 08.09.1993. It is also declared that I do not belong to persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum dated 08.09.1993 and O.M.
No.36033/3/2004-Estt. (Res.) dated 9.3.2004 and 14.10.2008 and O.M.No.36033/1/2013-Estt. (Res.) dated 27th May, 2013 as amended from time to time.
Signature
Name of the Candidate
<b>Note</b> : The term "ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.
*Please delete the words which are not applicable.  **Authorities empowered to issue Other Backward Classes certificate will be the same as those empowered to issue Scheduled Castes/Scheduled Tribes certificates.
@ Strike out whichever is not applicable.
<b>Note 1</b> : Candidates claiming to belong to OBCs should note that the name of their caste (including its spellings) as indicated in their certificates, should be exactly the same as published in the lists notified by the Central Government from time to time. A certificate containing any variation in the caste name will not be accepted.
Note 2: The OBC claim of a candidate will be determined in relation to the State (or part of the State) to which his/her father originally belongs. A candidate who has migrated from one State (or part of the State) to another should, therefore, produce an OBC certificate which should have been issued to him/her based on his/her father's OBC
certificate from the State to which he (father) originally belongs.
<b>Note 3</b> : No change in the community status already indicated by a candidate in his/her simplified application form for this examination will ordinarily be allowed by the Commission.
Appendix-II
The form of certificate to be produced by the candidate is:—
Certified that Rank No Shri
of Unit
Signature  Designation  Date
*Strike out whichever is not applicable.
Appendix-III
(A) Form of certificate applicable for Released/Retired personnel.
It is certified that No Rank Name
whose date of birth is
(a) Has rendered five or more years military service and has been released on completion of assignment otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.

(b)	Has been released on account of physical disabil on invalidment on	lity attributable to military service or
Station:	:	
Date :		
	Co	ame and Designation of the ompetent Authority
	) Form of certificate applicable for serving penel who are due to be released within one year).	ersonnel (Applicable for serving
Rank Force from	nereby certify that, according to the information availableName	is serving in the Army/Navy/Air complete the specified term of his
Place :	s	ignature of commanding Officer
Date :		Office Seal
Car	andidates furnishing certificate B as above will hav	re to give the following undertaking
:	UNDERTAKING TO BE GIVEN BY THI	E CANDIDATE :
application the satist from the terms of	inderstand that, if selected on the basis of the Recion relates, my appointment will be subject to my perfection of the appointing authority that I have been a Armed Forces and that I am entitled to the benefit the Ex-Servicemen (Re-employment in Central Cinded from time to time.	producing documentary evidence to en duly released/retired/discharged fits admissible to Ex-Servicemen in
	: :	Signature of Candidate
	) Form of Certificate applicable for serving ted their initial assignment and are on extended	
lt	whose date of birth is	Rank Name is serving in the
2. 3. There	avy/Air Force from	nent and he/she will be released on
		Name and Designation of the Competent Authority SEAL
Station :	:	SLAL
Date :		
Aut	uthorities who are competent to issue certificate are	as follows :—
(a)	In case of Commissioned Officers including ECOs Army—Military Secretary Branch, Army Hqrs., Ne Navy—Directorate of Personnel, Naval Hqrs., Nev	w Delhi. w Delhi.
(b)	Air Force—Directorate of Personnel Officers, Air In case of JCO/ORs and equivalent of the Navy a Army—By various Regimental Record Officers.	•

Navy—BABS, Bombay. Air Force—Air Force Records NERW, New Delhi.

- **9.** A candidate claiming to belong to Persons with Benchmark Disability category shall be required to meet one or more of the physical requirement/abilities, as laid down in Rule 19 of the Rules for the Combined Medical Services Examination, 2018. He/she must upload a scanned copy of the Certificate of Disability in Form V / Form VI issued by notified Medical Authority of the Central/State Government.
- NOTE I: NOTWITHSTANDING THE AFORESAID PROVISION FOR AGE RELAXATION, A CANDIDATE BELONGING TO PERSONS WITH BENCHMARK CATEGORY WILL BE CONSIDERED TO BE ELIGIBLE FOR APPOINTMENT ONLY IF HE/SHE (AFTER SUCH PHYSICAL EXAMINATION AS THE GOVERNMENT OR THE APPOINTING AUTHORITY, AS THE CASE MAY BE, MAY PRESCRIBE) IS FOUND TO SATISFY THE REQUIREMENTS OF PHYSICAL AND MEDICAL STANDARDS FOR THE COMBINED GEO-SCIENTIST AND GEOLOGIST EXAM TO CANDIDATES BELONGING TO THE PERSONS WITH BENCHMARK CATEGORY BY THE GOVERNMENT.

Note II: Candidates should note that their SC/ST/OBC/Persons with Benchmark Disability/Ex-servicemen certificate should be earlier than the closing date of application for the Combined Medical Services Examination, 2018 [i.e. prior to 25.05.2018] as prescribed in the Rule 21 of the rules for the examination.

#### **Appendix- IV**

# <u>Form-IV</u> <u>APPLICATION FOR OBTAINING DISABILITY CERTIFICATE BY PERSONS WITH BENCHMARK DISABILITIES</u>

1.	Name		
	(Surname)		(Middle name)
2.	Father's Name	Mother's Name	
3.	Date of Birth/	/ Year	
4.	Age at the time of application :	Year	
5.	Sex Male / Female		
6.	Address:		
(a)	Permanent address	(b) Current address (i.e	e. for communication)
(c)	Period since when residing at curre	nt address	
7.	Educational status (Pl. tick as applic	cation)	
	<ul> <li>(i) Post Graduate</li> <li>(ii) Graduate</li> <li>(iii) Diploma</li> <li>(iv) Higher Secondary</li> <li>(v) High School</li> <li>(vi) Middle</li> <li>(vii) Primary</li> </ul>		

8.	Occupa	ation							
9.	•		ark : (i)			(ii) .			
10.				motor/hearir					
11.			•	ed : From Bi	-				
12.						•	n the past	YES	/NO
		es, detail		0000 01 0 01	oublinty of	in oato ii	raio paor il		
				and district	in which	annlied			
			of application						
10									0000
13.	true co		Deen Issue	tu a uisabiiii	ty certifica	ate iii tiie	past? If yes, p	nease end	ose a
Declara	ation :	knowle misstat	dge and bed. I furthe	elief, and rer state that	no materi if any ina	al informa accuracy i	ve are true to ation has been s detected in a d and other ac	en conceal the applica	ed or ition, I
					(\$		or left thumb i benchmark wit		of , or of
Dated :						etardation	in case of pers , autism, cere disabilities)	sons with n	nental
Place :									
Encl :									
1.	(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) the (h) box scl (i) de: ins	ration of voter id voter id driving bank per passport telephore application a certificant, any hool, in case stitute, notitution.	card, dentity card license, assbook ard, ort, one, electric int, icate of res gazetted o e an inmate nentally ill,	city, water a idence issu officer or the of a reside	nd any ot ed by a P concerne ntial instit ficate of re	her utility anchayat ed Patwar ution for p	bill indicating , municipality, i or Head Mas persons with di from the head	cantonmer ster of a Go	nt
۷.	1 WO 10	oon pac	35011 3120						
					ffice use o				
Dat Pla							Signature of i	issuing aut	hority

(viii)

Illiterate

### Form-V

### Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

[See rule 18(1)]

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability.

Certificate No.	ificate No. Date:					
This is to certify	that	I ha	ave			
			_			of Shri
						Age
years, male/female registration No permanent						
resident of House No.						
District		Sta	te _		, whos	se photograph is
affixed above, and am satisfie						
(A) he/she is a case of:						
<ul> <li>locomotor disability</li> </ul>						
<ul> <li>dwarfism</li> </ul>						
<ul> <li>blindness</li> </ul>						
(Please tick as applica	ıble)					
(B) the diagnosis in his/her of						
(C) he/she has % (in					ercent (in v	words) nermanent
locomotor disability/dwarfisr	_			_		· =
	•				•	
as per guidelines (	num	iber a	and	date of issi	ue of the	guidelines to be
specified).						
2. The applicant has sub	omitted	l the f	follo	wing docume	ent as proo	f of residence:-
Nature of Document	Date	of Issi	16		Details of	authority issuing
riatare of Boodinesis	Bate	01 1000	ac		certificate	
					certificate	

(Signature and Seal of Authorised Signatory of notified Medical Authority)

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

### Form - VI

## Certificate of Disability (In cases of multiple disabilities) [See rule 18(1)] (Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability.

Certificat			Date:	
Tl	his is to certify th	nat we have		amined Shri/Smt./Kum.
			son/wife/da	aughter of Shri
	Date	of Birth (D	DD/MM/YY)	Age years, nt resident of House No.
male/fen	nale Registration	on No	permane	nt resident of House No.
	Ward/Village/St	reet	Post Off	ice District
	State	_, whose phot	ograph is affixe	d above, and am satisfied
that:				
				nt of permanent physical
				es (number and
				ilities ticked below, and is
	gainst the relevant dis			
S. No	Disability	Affected	Diagnosis	Permanent physical
		part of		impairment/mental
		body		disability (in %)
1.	Locomotor	@		
	disability			
2.	Muscular			
	Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10	Hard of Hearing	£		
	Speech and			
	Language disability			
12.	Intellectual			
	Disability			
13.	Specific Learning			
	Disability			
14.	Autism Spectrum			
	Disorder			
15.	Mental illness			
	Chronic			
	Neurological			
	Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
	Parkinson's			
	disease			
19	Haemophilia			
	Thalassemia			
	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above guidelines (number	-	_		
follows : -	arra acco	or rooms or thre Bure	.011100 00 0	o specifically, is as
In figures :	percent			
In words :				-
2. This condition is prog	ressive/n	on-progressive/likel	y to impro	ove/not likely to
improve.				
3. Reassessment of disability	ty 18:			
(i) not necessary, or				
(ii) is recommended	/after	years	mont	hs, and therefore
		lid till		
a a Loft/vial	ht/hoth o	rma /10.00	(DD)	(MM) (YY)
<ul><li>@ e.g. Left/rigl</li><li># e.g. Single ey</li></ul>	-	Tills/Tegs		
£ e.g. Left/Rigl		ars		
3.3. 3.7. 3	.,			
4.The applicant has submit				
Nature of document	Date of	issue	certificate	authority issuing
			certificate	
5. Signature and seal of	of the Med	lical Authority.		
Name and Seal of Member	Nome o	nd Seal of Member	Name an	d Seal of the
Ivalic and Scar of McInder	wante a	nd Scar of Member	Chairperso	
Signature / thumb				
impression of the				
person in whose favour				
certificate of disability				
is issued.				
	0	Form – VII		
(In cases other		ficate of Disability lose mentioned in Fo	orms V and	VI)
		Medical Authority iss		
	(5	See rule 18(1))		Pagant paganart
				Recent passport size attested
				photograph
				(Showing face
				only) of the person with
				•
				disability
Certificate No.		Date:	womin ad	Chri/Crnt /Varma
This is to certify the	ıat I	have carefully e	examined wife/daught	Shri/Smt./Kum. ter of Shri
	Da	te of Birth (DD/M	M/YY)	Age
years, male/female resident of House No.		_ Registration No		permanent
resident of House No.		Ward/Village/Stree _ State	et	Post Office
is affixed above, and am				nose buomarahu
disability. His/her extent				sability has been

evaluated as per guidelines (......number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:

specifiea)	) and is shown against the relevant disability in the table below:-			
S. No	Disability	Affected	Diagnosis	Permanent physical
		part of		impairment/mental
		body		disability (in %)
1.	Locomotor	<u>@</u>		
	disability			
2.	Muscular			
	Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low vision	#		
7.	Deaf	€		
8.	Hard of Hearing	€		
9.	Speech and			
	Language disability			
10.	Intellectual			
	Disability			
11.	Specific Learning			
	Disability			
12.	Autism Spectrum			
	Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic			
	Neurological			
	Conditions			
	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's			
	disease			
	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

- 2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.
- 3. Reassessment of disability is:
- (i) not necessary, or
- (ii) is recommended/after \_\_\_\_\_ years \_\_\_\_\_ months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) \_\_\_\_ \_
- @ eg. Left/Right/both arms/legs
- # eg. Single eye/both eyes
- € eg. Left/Right/both ears
- 4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

(Authorised Signatory of notified Medical Authority) (Name and Seal)

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned (Countersignature and seal of the Chief Medical Officer/Medical Superintendent/ Head of Government Hospital, in case the Certificate is issued by a medical authority who is not a Government servant (with seal)} Note.- In case this certificate is issued by a medical authority who is not a Government servant, it shall be valid only if countersigned by the Chief Medical Officer of the District

#### FORM - VIII

[Intimation of rejection of Application for Certificate of Disability]
[See rule 18 (4)]
No Dated :
To,
(Name and address of applicant
for Certificate of Disability)
Sub: Rejection of Application for Certificate of Disability
Sir/ Madam,
Please refer to your application dated for issue of a Certificate of
Disability for the following disability:
<ol> <li>Pursuant to the above application, you have been examined by the undersigned/ Medical Authority on, and I regret to inform that, for the reasons mentioned below, it is not possible to issue a Certificate of Disability in your favour:         <ol> <li>(i)</li> <li>(ii)</li> <li>(iii)</li> </ol> </li> </ol>
3. In case you are aggrieved by the rejection of your application, you may represent to, requesting for review of this decision.
Yours faithfully,
(Authorised Signatory of the notified Medical Authority) (Name and Seal)

10. The candidates should note that their candidature for the Combined Medical Services Examination, 2018 will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any stage before or after the examination it is found that they do not fulfil any of the eligibility conditions, their candidature for the examination will be cancelled by the Commission.

Originals of the above certificates are required to be produced at the time of interview.

**NOTE**:—Candidates are required to sign the scanned copies of all certificates sent along with the printed copy of online application and also to put the date.

- 11. Any Detailed Application Form received without all or some of the documents will entail cancellation of candidature. Any missing documents sent subsequently by the candidate will not be entertained. The candidates must ensure that the scanned copies of online application form is properly filled in and is accompanied by all the relevant documents within the prescribed time. No column of the online application should be left blank.
- 12. In all communications with the Commission regarding his/her application, the candidate should mention the name of the Examination, his full name, Roll Number, Registration ID (11 digits) and date of birth.

\*\*\*\*\*